न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
09/2023	धारा 136 LRA	02.02.2023	13.07.2023

बिजूराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी डाबला मार्ग अगुणा मोहल्ला, वार्ड नम्बर 32 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू जिला चूरू

– अप्रार्थी –

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया गया कि –

यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 तादादी 1.0876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 तादादी 5.3115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 65 तादादी 3.7813 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 10.1804 हैक्टेयर वाके रोही बूंटिया तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी की संयुक्त पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है।

यह कि कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा, काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। प्रार्थी का नाम पैतृक इन्तकाल में विजय पुत्र नत्थूराम है जबकि इन्तकाल गलत दर्ज हो गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि गलत ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही अंकित चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता इसलिए नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी के पिता नत्थूराम के फौत होने के बाद प्रार्थी के परिवार में लाड प्यार से कहने के कारण प्रार्थी का नाम विजय दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम विजय के स्थान पर बिजूराम दर्ज किया जावे।

यह कि प्रार्थी द्वारा पैतृक कृषि भूमि इन्तकाल में ग्राम पंचायत बूंटिया द्वारा पैतृक इन्तकाल तस्दीक हुआ था जिसमें प्रार्थी लाड प्यार से पुकारा जाने वाला नाम विजय पुत्र नत्थूराम दर्ज हो गया और प्रार्थी का नाम विजय पुत्र नत्थूराम आज तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी का नाम सही और शुद्ध बिजूराम है ना कि विजय मगर प्रार्थी का नाम सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजों में जैसे कि प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड संख्या 628217348406, पैन कार्ड संख्या BXXPR5517। एवं राशन कार्ड संख्या 200000179691, कक्षा 10 की मार्कशीट आदि वैद्य दस्तावेज बने हुए है जिनमें प्रार्थी का नाम बिजूराम पुत्र नत्थूराम नाम से आदि दस्तावेजात बने हुए हैं।

यह कि प्रार्थी ने जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहा तब पता चला कि प्रार्थी किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि प्रार्थी का स्वयं का नाम गलत होने के कारण दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा व कहलवाया कि प्रार्थी का नाम मूल दस्तावेज के आधार के अनुसार प्र[illegible] नाम बिजूराम पुत्र नत्थूराम राजस्व रिकॉर्ड में सही अंक[illegible] टाल–मटोल करता रहा व आखिरकार दिनांक 28.01.2023 को अ[illegible] ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 28.01.2023 से वादकारण तथा वाद–हेतुक प्रार्थी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

यह कि निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र व मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 तादादी 1.0876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 तादादी 5.3115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 42 तादादी 3.7813 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 10.1804 हैक्टेयर वाके रोही बूंटिया तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी का स्वयं का नाम गलत दर्ज विजय पुत्र नत्थू को हटाकर उसके स्थान पर सही नाम बिजूराम पुत्र नत्थूराम दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. का पेश करने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का हाने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत न कर रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 तादादी 1.0876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 तादादी 5.3115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 65 तादादी 3.7813 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 10.1804 हैक्टेयर वाके रोही बूंटिया तहसील व जिला में प्रार्थी का नाम विजय पुत्र नत्थूराम की बजाय बिजूराम पुत्र नत्थुराम दुरूस्त किया जावे । बहस में अधिवक्ता प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तथ्यों को दोहराया। जमाबंदी सम्वत् 2070 – 2073 रोही ग्राम बूंटिया खसरा संख्या 42, 550, 65 में प्रार्थी विजय पुत्र नत्थु हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चूरू खातेदार, दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक्स, 10वीं कक्षा की अंकतालिका, आदि में प्रार्थी का नाम बिजूराम पुत्र नत्थुराम रिपोर्ट तहसीलदार चूरू में विजय पुत्र नत्थुराम व बिजूराम पुत्र. नत्थुराम एक ही व्यक्ति होना बताया है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बिजूराम पुत्र नत्थुराम जबकि राजस्व रिकॉर्ड में विजय पुत्र नत्थू दर्ज हो गया है जो कि गलत है। अतः प्रार्थी अपने नाम में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्था भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 42 तादादी 1.0876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 तादादी 5.3115 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 65 तादादी 3.7813 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 10.1804 हैक्टेयर वाके रोही बूंटिय में प्रार्थी का नाम विजय पुत्र नत्थू के स्थान बिजूराम पुत्र नत्थुराम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदराम करें।

आदेश दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2023.08.21 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू